<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002892012</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-40 / 12</u> संस्थापित दिनांक-21.02.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—गोलू पुत्र छोटे	लाल जाति सेन उम्र 19 वर्ष निवासी
पंचम नगर कॉलोनी चंदेरी।	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री पठान अधिवक्ता।

—: <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 01.04.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192, 146/196, 3/181 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी/आहत से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 337 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 39/192 एवं 3/181 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी हाजराबाई ने दिनांक 01.02.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 28.01.12 को वह शनिवार के दिन अपने रिश्तेदार के यहां आई थी। और फिर जब रिश्तेदार के घर से अपने घर गांधीनगर कॉलोनी के पास करीब 06.30 बजे शाम को डिग्री कॉलेज के पास पहुंची तो गोलू सेन मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाता लाया और उसमें टक्कर मार दी जिससे वह गिर गई और उसे चोट आई। गोलू अपनी मोटरसाईकिल को भगाकर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 279, 337 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 39/192 एवं 3/181 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 28.01.12 को समय शाम 06.30 बजे स्थान डिग्री कॉलेज के पास पिछोर रोड चंदेरी पर मोटरसाईकिल बजाज

डिस्कवर का परिचालन उपेक्षा एवं उतावलेपन से किया एवं उसी समय आरोपी के पास उक्त वाहन का न तो रजिस्ट्रेशन था, न वाहन बीमित और न ही वाहन चालन अनुज्ञप्ति ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 हाजराबाई, अ.सा. 02 सलीम खां, अ.सा. 03 अफसाना, अ.सा. 04 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा. 05 बाबूलाल, अ. सा. 06 नरेंद्र सिंह रघुवंशी, अ.सा. 07 राकेश सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 हाजराबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को पिछोर रोड पर उसके बगल में कमर पर मोटरसाईकिल ने टक्कर मार दी थी और आरोपी ने उसे उठाकर उसकी दवाई कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार गाडी तेज आ रही थी तथा मोटरसाईकिल आरोपी की ही थी। अ.सा. 05 बाबूलाल ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह मेघासन मंदिर जा रहा था और साथ में सलीम और उसकी मां भी थी और तब गोलू अपनी मोटरसाईकिल से आया और हाजराबाई को टक्कर मार दी थी जिससे उन्हें चोट आई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी गोलू की गाडी से हाजराबाई को टक्कर लगी थी।

09— अ.सा. 02 सलीम एवं अ.सा. 03 अफसाना ने अपने कथन में बताया है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि आरोपी गोलू ने हाजराबाई को टक्कर मारी थी। उक्त साक्षीगण के अनुसार मोटरसाईकिल जिससे टक्कर हुई थी वह बहुत तेज चल रही थी। अ.सा. 03 के अनुसार उसने मोटरसाईकिल देखी थी। अ.सा. 04 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा उक्त घटना दिनांक को आहत हाजराबाई का मेडिकल परीक्षण जिया जाना व्यक्त किया गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उक्त घटना दिनांक को

आहत हाजरा के शरीर पर तीन चोटें आई थीं जिसकी रिपोर्ट प्रपी 04 है जिसके ए से ए भाग पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

- 10— अ.सा. 06 नरेंद्र सिंह द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध करना व्यक्त किया गया है तथा अ.सा. 07 राकेश सिंह द्वारा प्रकरण में विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया जाना तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किया जाना व्यक्त किया गया है।
- 11— प्रकरण में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसके अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि अ.सा. 01 मामले की फरियादिया ने अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी गोलू द्वारा मोटरसाईकिल से उसे टक्कर मारी गई थी। उक्त साक्षी के कथनों से यह भी स्पष्ट है कि मोटरसाईकिल तेजी से चल रही थी। उक्त साक्षी के कथनों का अनुसमर्थन अ.सा. 05 द्वारा अपने कथनों में स्पष्ट रूप से किया गया है। अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 यद्यपि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं, किंतु उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अ.सा. 01 की साक्ष्य की संपुष्टि हो रही है। अ.सा. 04 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उक्त घटना दिनांक को मामले के फरियादी को उक्त चोटें आई थीं। इस प्रकार मामले की फरियादी की साक्ष्य की संपुष्टि अ.सा. 04 की साक्ष्य से हो रही है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि उक्त घटना दिनांक को कोई घटना नहीं घटी। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास वाहन का वैध बीमा, रिजस्ट्रेशन एवं वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति थी।
- 12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा

जप्तशुदा मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चालित कर फरियादिया को टक्कर मारी गई। अभियोजन यह प्रमाणित करने में भी सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी के पास उक्त वाहन को चालित करने का वैध बीमा, रजिस्ट्रेशन एवं वाहन चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी। परिणामतः आरोपी गोलू को भादवि की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 146/196, 39/192 एवं 3/181 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।

आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। प्रस्तुत प्रकरण शमन 13-विचारणीय है। अतः आरोपी को दंड के प्रश्न पर सुनने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक दंड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि भविष्य में उसे उक्त अपराध से रोके और साथ ही यह भी शिक्षा दे कि सार्वजनिक मार्ग पर वाहन का परिचालन करते समय यातायात के नियमों का पालन किया जाना परमावश्यक है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी का फरियादी से राजीनामा भी हो गया है। अतः ऐसी दशा में आरोपी को कारागार के दंडादेश से दंडित करना समीचीन प्रतीत नहीं होता। अतः आरोपी को भादवि की धारा 279 के आरोप में 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 3 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 146 / 196 के अपराध में 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 3 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 39 / 192 के अपराध में 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 3 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अपराध में 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपी 3 दिवस का साधारण कारावास भोगेगा। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

- 14. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 15. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाईकिल बजाज डिस्कवर 100सीसी पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः उक्त सुपुर्दनामा निरस्त समझा जावे।
- 16. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)